The Uttaranchal (Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916) Amendment Act, 2002

Act 13 of 2002

Keyword(s):
Municipal Election, Candidate, Affidavit

Amendments appended: 5 of 2011, 7 of 2023

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

क्रम संख्या–209

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/02
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, शनिवार, 21 दिसम्बर, 2002 ई0
अग्रहायण 30, 1924 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 455/विधायी एवं संसदीय कार्य/2002
देहरादून, 21 दिसम्बर, 2002

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन) विधेयक, 2002 को दिनांक 21–12–2002 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 13, सन् 2002 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन) अधिनियम, 2002

(अधिनियम संख्या 13, सन् 2002)

भारत के गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1916) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 में अग्रेत्तर संशोधन के लिये–

अधिनियम

1. (i) यह अधिनियम उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन) अधिनियम, 2002 कहा जायेगा। — 1-संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और विस्तार

(ii) यह सम्पूर्ण उत्तरांचल में लागू होगा।

(iii) यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916, की धारा 9(1)(क) का संशोधन धारा 9(1)(क)का संशोधन

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 9(1)(क) के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी :–

निर्वाचित सदस्य, जिनकी संख्या 4 से कम और 45 से अधिक नहीं होगी, जैसा कि राज्य सरकार सरकारी गजट मे अधिसूचना द्वारा विर्निदिष्ट करें ;

3. धारा 9–क का संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 9–क के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड में शब्द "सत्ताईस" के स्थान पर शब्द "चौदह" रख दिया जायेगा ;

4.धारा 13–ख का संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 13–ख में निम्नलिखित उपधारा (3) बढ़ा दी जायेगी :–

"(3) राज्य निर्वाचन आयोग सभी निर्वाचनों में प्रत्येक प्रत्याशी से नामांकन पत्र के साथ उसकी पृष्ठभूमि के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचनाओं के साथ अन्य सूचनाऐं जैसा आवश्यक समझे, का शपथ पत्र के साथ घोषणा पत्र प्राप्त करेगा और मतदाताओं को उसकी जानकारी कराने के लिये खण्ड (ग) तथा (ड) की सूचनाओं को छोड़कर प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करायेगा :–

(क) क्या वह अतीत में किसी अपराधिक मामलें में दोषी पाया गया है ? दोष मुक्त हुआ है? आरोप से उन्मोचित हुआ है ?, या दोषी पाये जाने की स्थिति मे उसे दण्ड या अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ?

(ख) नामांकन भरने से छः माह पूर्व क्या अभ्यर्थी किसी ऐसे लम्बित मामले में अभियुक्त रहा है जिसमें दो वर्ष या अधिक की सजा हो सकती है, एवं मामले में आरोप निर्धारित हो चुके हो या न्यायालय ने संज्ञान में लिया हो? का विवरण ;

(ग) वह और उसके पति या पत्नी तथा आश्रितों की चल, अचल सम्पत्तियों, बैक बैलेंस आदि से सम्बन्धित पूर्ण सूचना ;

(घ) उस पर देनदारियों विशेषकर उसके द्वारा किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान या सरकार की अवशेष राशि का समय से भुगतान न करने की दशा में उसका पूर्ण विवरण ;

(ड) उसकी आय के साधन तथा वर्तमान मासिक/वार्षिक आय का पूर्ण विवरण ;

(च) वह विवाहित अथवा अविवाहित ;

(छ) उसके कुल बच्चों की संख्या और उनकी आयु व शिक्षा पर व्यय का विवरण ;

(ज) उसकी आयकर तथा भूमि – भवनकर, प्रक्षेपकर/शुल्क के रूप में भुगतान की जाने वाली वार्षिक धनराशि का पूर्ण विवण, और

(झ) उसकी शैक्षिक योग्यता का विवरण ;

5. धारा 13–ग का संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 13–ग में निम्नलिखित उपधारा (घ) बढ़ा दी जायेगी :–

"(घ) वह एक से अधिक वार्ड के लिये अभ्यर्थी न हो ।"

6. धारा 13–घ का संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 13–घघ, के बाद उपधारा–ड 13–घ (छ) के बाद उपधारा (ज) तथा 13–घ(ट) के बाद उपधारा (ठ) (ड) (ढ) (ण) तथा (त) निम्नवत् बढ़ा दिये जायेंगे :–

"(ड़) "उसकी दो से अधिक जीवित संतान है जिनमें से एक का जन्म इस धारा के प्रवृत्त होने की तिथि के 300 दिवस के पश्चात हुआ है ;" या

(ज) "महिला के विरुद्ध किसी अपराध का दोष सिद्ध ठहराया गया है ;" या

"(ठ) किसी ऐसे समाचार–पत्र में, जिसमें नगरपालिका के कार्यकलापों से सम्बन्धित कोई विज्ञापन दिया जा सकता है, अंश या हित रखता है ;"या

"(ड) किसी ऐसी संस्था जो नगरपालिका से किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है, का वैतनिक कर्मचारी है ;" या

"(ढ) यदि वह या उसके परिवार का सदस्य या उसका कानूनी वारिस नगर पालिका के स्वामित्व या प्रबंधन की भूमि या भवन या सार्वजनिक सड़क या पटरी, नाली, नाला पर अनाधिकृत कब्जा करता है अथवा किसी ऐसे अनाधिकृत कब्जे से किसी प्रकार का लाभ प्राप्त करता है य " या

"(ण) नगरपालिका के किसी भी कर्मचारी संवर्ग या वर्ग के संघ या यूनियन का प्रतिनिधि या पदाधिकारी है य " या

"(त) नगरपालिका के अधिनियम, नियम, उपविधियां, विनियम, शासनादेश का उल्लंघन करने, नगर पालिका के हितों की उपेक्षा करने का सिद्व दोषी ठहराया गया हो"

मूल अधिनियम की धारा 13–घ के बाद निम्नलिखित धारा 13–च पुनःस्थापित कर दी जायेगी :–

7.धारा 13 च का पुरः स्थापन

" मतदान की रीति" – किसी वार्ड के प्रत्येक निर्वाचन् में जहां मतदान लिया जाये, मत गूढ़ शलाका या वोटिंग मशीन द्वारा दिये जायेगें तथा कोई मत प्रतिनिधिक मतदान द्वारा नहीं लिया जायेगा ;"

मूल अधिनियम की धारा 43–कक की उपधारा (2)(क) में उपधारा "(ट)" के बाद उपधारा 13 घ के बाद उपधारा (ठ)(ड)(ढ)(ण) तथा (त) रख दिये जायेगें ।

8. धारा 43 कक का संशोधन

निरसन और अपवाद

9–(1) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916) (संशोधन) अध्यादेश 2002 एतदद्वारा निरसित किया जाता है ।

उत्तरांचल अध्यादेश सं–3 सन् 2002

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 के उपबन्धों के अधीन कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत थे ।

आज्ञा से,

(यू0 सी0 ध्यानी)
अपर सचिव।

No. 455/Vidhayee and Sansadiya Karya/2002

Dated Dehradun, December 21, 2002

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttaranchal (Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916) (Amendment) Act, 2002 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 13 of 2002).

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented by the Governor on December 21, 2002.

THE UTTARANCHAL (UTTAR PRADESH MUNICIPALITIES ACT, 1916) (AMENDMENT) ACT, 2002

(ACT No. 13 OF 2002)

AN

ACT

to further amend the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 in it's application in Uttaranchal,

It is hereby enacted in the fifty third year of the Republic of India as follows :-

1. Short title, extent and commencement

(1) This Act may be called Uttaranchal (Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916) (Amendment) Act, 2002.

(2) In extents to the whole of Uttaranchal

(3) It shall be deemed to have come into force at once.

2.Amendment of Section 9-I (A) of the Uttar Pradesh Nagar Palika Adhiniyam 1916

Section 9-(1)(A) of the Uttar Pradesh Nagar Palika Adhiniyam, 1916 (hereinafter reffered to as the " Principal Act") the following section shall be substituted, namely :-

The elected members, whose numbers shall be not less than 4 and not more then 45, as may be prescribed by the State Govt. and notified in the official Gazatte.

3. Amendment of the first proviso of Section 9-A

The first proviso of Section 9-A of the Principal Act, the Word " fourteen" shall be substituted for the word "Twenty seven".

Amendment of Section 13-B

In section 13-B of the Principal Act, sub-section (3) shall be added :

(3) State Election Commission shall obtain from all the candidates a declaration in the form of an affidavit containing the following information and any other information it deems necessary and shall, except information contained in clause (c) and (e), publish the same in the major daily newspapers for the information of the electorate.

(a) Whether the candidate has been convicted/acquitted/discharged of any criminal offence in the past and, if convicted, whether he was punished with imprisonment or fine ?

(b) Prior to six months of filing of nomination, whether the candidate is accused in any pending case, of any offence punishable with imprisonment for two years or more, and in which charge is framed or cognizance is taken by the Court of law. If so, the details thereof.

(c) The assets (immovable, movable, bank balances etc.) of a candidate and of his/her spouse and, that of dependants.

(d) Liabilities, if any, particularly whether there are any over dues of any public Financial Institutions or Government dues.

(e) His/her source of income and full details of present Monthly/Annual Income.

(f) Whether he/she is married/unmarried.

(g) Number of Children, their ages, and their educational expenses.

(h) Details of his/her income tax; house tax; projections tax/fees payable annually.

(i) The educational qualifications of candidate.

5. Insertio of a new sub-sectio 13-C(d)

After section 13-C of the Principal Act a new subsection (d) shall be inserted :-

(d) He is not a candidate from more than one ward.

6. Insertion of a new subsection 13-D(e)(h)(l)(m)(n)(o) and (p)

After section 13-D(d), sub-section(e), 13-D(g) sub-section(h), and 13-D(k) sub-section(i),(m)(n)(o) and (p) in the Principal Act, shall be added :-

(e) He has more than two living children of whom one is born after expiry of 300 days from the date of notification of this part ; or,

(h) has been convicted of any offence against a woman or,

(l) has an interest or share, in a publication where in advertisement regarding activities of the municipalities can be published or,

(m) is a paid employee of any institution, receiving financial aid from the municipalities or,

(n) the person or any member of his/her family or his/her legal heir is in unauthorized occupation of any land or building owned or managed by the municipality/ Government or a public road or pavement, canal, drain, or is a beneficiary of such unauthorized occupation ; or,

(o) is a representative or office bearer of any federation or union of any cadre or class of employees of the municipality ; or

(p) has been convicted of any offence involving violation of any Act, Rules, Sub-rules, regulations and Govt. orders relating to Municipality and has been found guilty or working against the interest of the municipality.

7. Insertion of Section 13-F

After section-13-E of the Principal Act a new section 13-F shall be inserted :-

Procedure of voting : Wherever an election takes place in any ward, voting shall be either through secret ballot or voting machine and there shall be no proxy voting.

8.Amendment of section-43 AA

In sub-section (2)(a) of section 43-AA of the Principal Act after sub-section (b) of section 13-D, sub-section (i),(n),(o),(p), shall be added.

Repeal and savings

(1) The Uttaranchal (Uttar Pradesh Nagar Palika Adhiniyam, 1916) (Amendment) ordinance-2002 is here by repealed.

(2) Not withstanding such repeal, anything done or any action taken under the corresponding provisions of the Uttar Pradesh Nagar Palika Adhiniyam, 1916 as amended by the ordinance referred to in sub-section(1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the Uttar Pradesh Nagar Palika Adhiniyam, 1916 as amended by this Act, as if the provisions of this Act were inforce at all Material times. Uttaranchal Ordinance no. 3 of 2002

By Order,

(U. C. DHYANI)
Addl. Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 26 विधायी/559–2002–500 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/रीजियो)।

क्रम संख्या–18

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 31 जनवरी, 2005 ई0

माघ 11, 1926 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 422/विधायी एवं संसदीय कार्य/2005

देहरादून, 31 जनवरी, 2005

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005 पर दिनांक 29 जनवरी, 2005 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 11, सन् 2005 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2005

(उत्तरांचल अधिनियम सं0 11, सन् 2005)

[भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में उत्तरांचल विधान सभा द्वारा अधिनियमित]

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 का अग्रेत्तर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

1–यह अधिनियम उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2005 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

मूल अधिनियम की धारा 54 का संशोधन

2—उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 जिसे यहां पर मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 54 में उपधारा (2), के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी; अर्थात् :—

(2) उपाध्यक्ष की पदावधि उसके निर्वाचन के दिनांक से दो वर्ष छः माह या नगरपालिका के सदस्य के रूप में उसके पद के कार्यकाल की शेष अवधि, इसमें जो भी कम हो; होगी।

(3) उक्त उपधारा (2) के उपबन्ध ऐसे किसी उपाध्यक्ष पर भी लागू होंगे, जो गत निर्वाचन में निर्वाचित घोषित किये हों।

मूल अधिनियम (संख्या 2, सन् 1916) की धारा 47—क का निकाला जाना

3—मूल अधिनियम की धारा 47—क निकाल दी जायेगी।

धारा 48 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 48 में—

(क) उपधारा (2) खण्ड (ख) में, उपखण्ड (आठ) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड बढ़ा दिये जायेंगे :—

अर्थात्—

(नौ) नगरपालिका की किसी सम्पत्ति को हानि या क्षति पहुंचायी हो; या

(दस) नगरपालिका की निधि का दुर्विनियोग या दुरुपयोग किया है; या

(ग्यारह) नगरपालिका के हित के प्रतिकूल कार्य किया है; या

(बारह) इस अधिनियम के उपबन्धों या उसके अधीन बनाये गये नियमों का उल्लंघन किया है; या

(तेरह) नगरपालिका की बैठक में इस प्रकार से बाधा उत्पन्न की है कि किसी बैठक में नगरपालिका का कार्य संचालन असंभव हो जाता है, या ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित किया है; या

(चौदह) इस अधिनियम के अधीन दिये गये राज्य सरकार के किसी आदेश या निर्देश का जानबूझकर उल्लंघन किया है; या

(पन्द्रह) नगरपालिका के अधिकारियों या कर्मचारियों के साथ बिना किसी न्यायोचित कारण के दुर्व्यवहार किया है; या

(सोलह) नगरपालिका की किसी सम्पत्ति का उसके बाजार मूल्य पर व्ययन किया है; या

(सत्रह) नगरपालिका की भूमि, भवन या किसी अन्य अचल सम्पत्ति पर अतिक्रमण किया है, किसी अन्य को अतिक्रमण करने में सहायता की है या प्रेरित किया है।

(ख) उपधारा (2—क) में परन्तुक निकाल दिया जायेगा।

धारा 87—क का निकाला जाना

5—मूल अधिनियम की धारा 87—क निकाल दी जायेगी।

मूल अधिनियम की धारा 96 का संयोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 96 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में—

(क) शब्द "दस हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "पचास हजार रुपये" रख दिये जायेंगे,

(ख) शब्द "तीन हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "पन्द्रह हजार रुपये" रख दिये जायेंगे,

(ग) परन्तुक में शब्द "बीस हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "एक लाख रुपये" रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,

आई0 जे0 मल्होत्रा,
प्रमुख सचिव।

No. 422/Vidhayee & Sansadiya Karya/2005
Dated Dehradun, January 31, 2005

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916) (Third Amendment) Bill, 2005 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 11 of 2005).

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on 29-1-2005.

THE UTTARANCHAL (THE UTTAR PRADESH MUNICIPALITIES ACT, 1916) (THIRD AMENDMENT) ACT, 2005

(THE UTTARANCHAL ACT NO. 11 OF 2005)

[Enacted by the Uttaranchal Legislative Assembly in the Fifty-fifth Year of the Republic of India]

Further to amend the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916) Adaptation and Modification Order, 2002

AN

ACT

1. The Act may be called the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916) (Third Amendment) Act, 2005. — Short Title

2. In Section 54 of the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916) Adaptation & Modification Order, 2002 hereinafter referred to as the Principal Act, in sub-section (2) the following sub-sections shall be substituted, namely :— — Amendment of Section 54 of the Principal Act

(2) the term of office of a Vice-chairman shall be two years and six months from the date of his election or the residue of his term as a member, whichever is less.

(3) the provision of aforesaid sub-section(2) shall also apply to the Vice-chairman, who is declared elected in the last election.

3. Section 47--A of the Principal Act shall be omitted. — Omission of Section 47-A of the Principal Act, (Act No. 2 of 1916)

4. In Section 48 of the Principal Act— — Amendment of Section 48

(a) In sub-section(2), in clause (b) after sub-section (viii), the following sub-clauses shall be inserted, namely :—

(ix) caused loss or damage to any property of the Municipality; or

(x) misappropriated or misused the Municipal fund; or

(xi) acted against the interest of the Municipality; or

(xii) contravened the provisions of this Act or the rules made thereunder; or

(xiii) created an obstacle in a meeting of the Municipality in such manner that it becomes impossible for the Municipality to conduct its business in the meeting or instigated some one to do so; or

(xiv) willfully contravened any order or direction of the State Government given under this Act; or

(xv) misbehaved without any lawful justification with the officers or employees of the Municipality; or

(xvi) disposed off any property belonging to the Municipality for a price less than its market value; or

(xvii) encroached, or assisted or instigated any other person to encroach upon the land, building or any other immovable property of the Municipality.

(b) In sub-section (2-A) the proviso shall be omitted.

Omission of Section 87-A

5. Section 87-A of the principal Act shall be omitted.

Amendment of Section 96 of the Principal Act

6. In section 96 of the Principal Act, in sub-section (I), in clause (b)--

(a) for the words "ten thousand rupees" the words "fifty thousand rupees" shall be substituted,

(b) for the words "three thousand rupees" the words "fifteen thousand rupees" shall be substituted,

(c) in the proviso for the words "twenty thousand rupees" the words "one lakh rupees" shall be substituted.

By Order,

I. J. MALHOTRA,
Principal Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 11 विधायी/35--2005--85+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

क्रम संख्या–41 (घ)

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 03 अप्रैल, 2023 ई0

चैत्र 13, 1945 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 133/XXXVI(3)/2023/77(1)/2022

देहरादून, 03 अप्रैल, 2023

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित 'उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन) विधेयक, 2022' पर दिनांक 31 मार्च, 2023 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड राज्य का अधिनियम संख्याः 07, वर्ष– 2023 के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

प्रमाणित पति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन) अधिनियम, 2022

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 07, वर्ष 2023)

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) में उत्तराखण्ड राज्य के परिपेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए,

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य की विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.	(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम,1916) (संशोधन) अधिनियम, 2022है। (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।
धारा 95 का संशोधन	2.	उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (जिसे यहाँ आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 95 में:– (क) खण्ड (ङ) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:– "(ङ) प्रोद्भवन आधारित दोहरी प्रविष्टि लेखा प्रणाली के माध्यम से खातों को ऐसे प्ररूप एवं रीति से तैयार करना और अनुरक्षण करना जिस रीति से राज्य सरकार नगरपालिका के खातों की संपरीक्षा का उपबन्ध करे।" (ख) खण्ड (झ) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:– "(झ) तुलनपत्र, आय एवं व्यय विवरण तथा प्राप्ति एवं भुगतान खाता जैसे वित्तीय विवरण प्रत्येक तिमाही के अन्त में तैयार करायेगी।" (ग) खण्ड (ञ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड (ट) निम्नवत् अन्तःस्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात्:– "(ट) नगरपालिका के सम्बन्ध में सभी वित्तीय मामलों और उससे सम्बन्धित प्रक्रियाओं के विवरण वाली नगरपालिका लेखा मैनुअल का अद्यतन और अनुरक्षण।"

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

धारा 99 का संशोधन	3.	मूल अधिनियम की धारा 99 में, उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात:– "(1) प्रत्येक नगरपालिका आगामी मार्च मास के 31वें दिवस को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए वास्तविक और प्रत्याशित प्राप्तियों और व्यय का पूर्ण लेखा तैयार करायेगी और उसके ठीक बाद आगामी अप्रैल मास के प्रथम दिवस को प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए नगरपालिका की आय और व्यय के बजट प्राक्कलन के साथ उसे प्रतिवर्ष ऐसे दिनांक के पूर्व जो इस निमित्त नियमतः निश्चित किया जाए, होने वाली बैठक में अपने समक्ष रखवाएगी। बजट में विभिन्न प्राप्तियां एवं भुगतान शीर्षक में, प्रारम्भिक एवं अन्तिम अवशेष के अन्तर्गत अनुमानित आय, व्यय, आधिक्य/घाटे को स्पष्टतः प्रदर्शित किया जायेगा। प्राप्तियों एवं भुगतानों को चार व्यापक शीर्षकों यथा राजस्व प्राप्ति, राजस्व व्यय, पूंजीगत आय एवं पूंजीगत व्यय में वर्गीकृत किया जाएगा।"
नई धारा 332 क का अन्तःस्थापन	4.	मूल अधिनियम की धारा 332 के पश्चात् निम्नलिखित धारा 332 क निम्नवत् अन्तःस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्:– "332 क सूचना का लोक प्रकटीकरण–(1) नगरपालिका त्रैमासिक अन्तरालों पर नीचे उल्लिखित अपेक्षित सूचना को प्रकट करने हेतु अपने अभिलेखों को अनुरक्षित रखेगी और प्रकाशित करेगी; (क) नगरपालिका या उसकी समितियों की कार्यवाहियाँ या कार्यवाहियों का सार; (ख) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका; (ग) ऐसे अधिकारियों की विशिष्टियाँ जो नगरपालिका के विभिन्न विभागों में रियायत, अनुज्ञा पत्र (परमिट), अनुज्ञप्ति (लाईसेंस) प्रदान करते हैं, या नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराते हैं; (घ) तुलनपत्र, प्राप्तियों एवं व्ययों और वार्षिक बजट आदि का संपरीक्षित वित्तीय विवरण; (ड़) नगरपालिका द्वारा प्रदान की जा रही प्रत्येक सेवा के लिए उपबन्धित किये गये सेवा स्तर;

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

(च) समस्त योजनाओं का विवरण, प्रस्तावित व्यय, प्रदान की गयी प्रमुख सेवाओं और उसके द्वारा निष्पादित क्रियाकलापों पर वास्तविक व्यय तथा किये गये व्यय का संवितरण पर आख्या;

(छ) नगरपालिका द्वारा प्रदान की गयी प्रमुख सेवाओं और उसके द्वारा निष्पादित क्रियाकलापों पर सहायिकि (Subsidy) कार्यक्रमों और ऐसे कार्यक्रमों हेतु हिताधिकारियों की पहचान की रीति एवं मानदण्डों का विवरण;

(ज) नगरपालिका द्वारा किये गये कार्यक्रमों का विवरण;

(झ) नगरपालिका के विकास से सम्बन्धित नगर विकास योजनाओं पर विस्तृत परियोजना आख्या (रिपोर्टों) का विवरण;

(ञ) मुख्य निर्माण कार्य, निर्माण कार्य का मूल्य, समापन के समय का विवरण और संविदा का ब्यौरा;

(ट) नगरपालिका निधियों का विवरण;

(i) कर एवं करेत्तर शीर्षकों के अधीन पूर्व वर्ष में जनित एवं वसूल की गयी आय;

(ii) कर, शुल्क, उपकर (सेस) और अधिभार, किराया, सम्पत्ति से शुल्क, अनुज्ञा पत्र (परमिट) और अनुज्ञप्ति (लाईसेंस) तथा उपयोक्ता प्रभार;

(iii) उपर्युक्त (ii) के सापेक्ष धनराशि जो असंगृहीत हो;

(iv) विभिन्न प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार से अनुदान, ऋण या निधियों का न्यागमन और उपभोग की स्थिति;

(ठ) ऐसी अन्य सूचना जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाय।

(2) प्रकटीकरण की रीति में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:–

(क) समाचारपत्र,

(ख) इन्टरनेट;

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

		(ग) नगरपालिका का सूचनापट्ट; (घ) आंचलिक कार्यालय; (ङ) किसी बुलेटिन का जारी किया जाना, (च) राजपत्र (गजट) में अधिसूचना, (छ) ऐसी कोई अन्य रीति, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाय।"

आज्ञा से,
शमशेर अली,
अपर सचिव।

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

उद्देश्य और कारण

भारत सरकार द्वारा स्थानीय निकायों के लेखों में एकरूपता लाये जाने हेतु एकाउण्टिंग मैनुअल प्रख्यापित किया गया है, तद्नुसार राज्य की आवश्यकताओं के दृष्टिगत राज्य द्वारा अपना एकाउण्टिंग मैनुअल तैयार किया जाना है। उक्त एकाउण्टिंग मैनुअल को राज्य की नगर पालिकाओं तथा नगर पंचायतों में लागू किये जाने हेतु उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) में कतिपय धाराओं का संशोधन/अन्तःस्थापन किया जाना अपरिहार्य है।

2– प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति करता है।

प्रेम चन्द अग्रवाल,
मंत्री

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

No. 133/XXXVI(3)/2023/77(1)/2022
Dated Dehradun, April 03, 2023

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'The Uttarakhand (Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916) (Amendment) Act, 2022' (Act No. 07 of 2023).**

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 31 March, 2023.

The Uttarakhand (Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916) (Amendment) Act, 2022

(Uttarakhand Act No. 07 of 2023)

An

Act

Further to amend the Uttarakhand (Uttar Pradesh Municipalities Act,1916) (Adaptation and Modification Order,2002) in the context of the State of Uttarakhand,

Be it enacted by the Uttarakhand State Legislative Assembly in the Seventy-third Year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement.	1.	(1) This Act may be called the Uttarakhand (Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916) (Amendment) Act, 2022. (2) It shall come into force at once.
Amendment of section 95.	2.	In section 95 of the Uttarakhand (Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916) (Adaptation and Modification Order, 2002)) (hereinafter referred to as the Principal Act), - (a) Clause(e) shall be substituted as follows, namely: - "(e) The form and the manner of preparation and maintenance of accounts by way of Accural Based Double Entry Accounting System, the manner by which the State Government may provide for audit of the accounts of the municipality."

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

		(b) clause (i). shall be substituted as follows, namely: - "(i) The Financial Statements such as the balance sheet, income and expenditure statement, and receipts and payment account, shall cause to be prepared at the end of each quarter" (c) After clause (j), the following clause (k) shall be inserted, as follows namely:- "(k) Up-to-date and maintenance of a Municipal Accounts Manual containing details of all financial matters and procedures relating thereto in respect of Municipality."
Amendment of section 99.	3.	In section 99 of the principal Act, for sub section (1), the following sub section shall be substituted, namely: - "(1) Every Municipality shall have prepared, and laid before it, at a meeting to be held in every year before such date as is fixed by rule in this behalf, a complete account of the actual and expected receipts and expenditure for the financial year ending on the thirty-first day in the month of March next following such date together with a budget estimate of the income and expenditure of the Municipality for the financial year commencing on the first day in the month of April next following. In the budget, the estimated income, expenditure surplus/deficit shall be clearly displayed under the head of various receipts and payments, opening and closing balance. The receipts and payments shall be classified under four broad heads viz. revenue receipts, revenue expenditure, capital income and capital expenditure."
Insertion of new section 332A	4.	After section 332 of the principal Act, the following section 332A shall be inserted, namely:- "332A. Public disclosure of information.- (1) The Municipality shall maintain and publish its records to disclose the required information at quarterly intervals as mentioned below:- (a) proceedings or substance of proceedings of the Municipality or its Committees; (b) a directory of its officers and employees;

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

		(c) the particulars of officers, who grant concessions, permits licenses or provide civic amenities in various departments of the Municipality; (d) audited financial statements of balance sheet, receipts and expenditures and annual budget, etc; (e) the service levels provided for each of the services being undertaken by the Municipality; (f) particulars of all plans, proposed expenditure, actual expenditure on major services provided or activities performed and reports on disbursement made; (g) details of subsidy programms on major services provided on activities performed by the Municipality, and manner and criteria of identification of beneficiaries for such programs; (h) details of programs undertaken by the Municipality; (i) particulars of detailed project report on urban development plans relating to development of the Municipality; (j) the particulars of major construction works, values of construction works, details of time to completion and details of contract; (k) the details of Municipality funds; (i) income generated and realized in the previous year under tax and non-tax heads; (ii) taxes, duties, cess and surcharge, rent, fee from property, permit and license and user charges; (iii) amount against (ii) above, the remain uncollected; (iv) Grants, loans, or devolution of funds from state Government for various purposes and the position of utilization. (l) such other information as may be prescribed by the State Government. (2) Manner of disclosure shall include;- (a) Newspapers;

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

		(b) Internet; (c)Notice Boards of Municipality; (d) Zonal Offices; (e) Issue of a Bulletin; (f) Notification in Gazette; (g) Any other mode, as may be prescribed by the State Government."

By Order,

SHAMSHER ALI,
Additional Secretary.

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

Statement of Objects and reasons

Accounting mannual, to bring uniformity in the Accounts of Local bodies has been promulgated by the Government of India, accordingly the State has to prepare its own Accounting Mannual keeping in view the needs of State. To implement said Accounting Manual in the Municipalities and Nagar panchayat of the State it is inevitable to amend/insert certain section in the Uttarakhand (Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916) (Adaptation and Modification Order, 2002).

2- Purposed bill fulfills the aforesaid objectives.

Prem chand Aggarwal
Minister

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 20 विधायी/259–2023–100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।